# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2022-074 (GCMS 2022-176)

1. बद्रीलाल पुत्र भंवराराम जाति माली,
   निवासी सुभाष कॉलोनी, पीपाडशहर,
   जिला जोधपुर
2. भागीरथ पुत्र भंवराराम के कायममुकामान-
   2.1. श्रीमती कौशल्या पत्नी भागीरथ जाति माली
   2.2. श्रीमती मोनिका पुत्री भागीरथ जाति माली
   2.3. विष्णु पुत्र भागीरथ जाति माली
   निवासीगण सुभाष कॉलोनी, पीपाडशहर
   जिला जोधपुर

**अपीलाण्ट्स...**

**ब**

**ना**

**म**

1. बाबुलाल उर्फ बाबुडा पुत्र भूराराम जाति माली
2. धोकलराम पुत्र भंवराराम जाति माली
   निवासीगण सुभाष कॉलोनी, पीपाडशहर,
   जिला जोधपुर
3. तहसीलदार पीपाडशहर
   जिला जोधपुर

**रेस्पो. ...**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर दिनांक 28 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 18/2012 बद्रीलाल बनाम बाबूलाल इत्यादि

------- 0 -------

**उपस्थित-**

श्री ओ.पी.बूब, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

# नि र्ण य

**दिनांक : 11 जुलाई 2023**

यह अपील अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बद्रीलाल व अन्य बनाम बाबूलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मार्च 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 व 92(ए) के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 1167 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा चाही दोयम तथा खसरा संख्या 1167/1 रकबा 03 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा के संबंध में प्रस्तुत किया, जो बाद आवश्यक कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मार्च 2022 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा पूर्व खातेदारान सुगनाराम, बद्रीलाल, भागीरथ, पुखाराम, सत्यनारायण पिसरान नारायणराम, मुथराई बेवा नारायणराम, मंगलाराम, केवलराम, केनाराम, जस्साराम, तेजाराम पिसरान सुरताराम से कुल रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा में से इनके हिस्से की भूमि विधिवत जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की सामलाती क्रयशुदा और कब्जे काश्त की भूमि है मगर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक ने बिना विधिवत बंटवारा कराये दिनांक 10 मई 2012 को मौके पर शहर सीमा के पास सडक पर गैरकानूनी तरीके से वाणिज्यिक उपयोग हेतु दुकानों का निर्माण करना व नीवें खुदवाना आरम्भ कर दिया। इस कारण विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में वादी-अपीलाण्ट्स की ओर से दावा पेश किया। विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान वादी भागीरथ का देहान्त हो जाने से उसके कानूनी वारिसान द्वारा वाद में पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थनापत्र पेश कर दिया था, किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी वाद खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब के आधार पर दिनांक 25 जनवरी 2016 को तनकियात कायम की गयी और उसके बाद पक्षकारान की साक्ष्य भी ली गयी, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित नहीं किये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी सीपीसी के प्रावधानों एवं निर्धारित विधिक प्रकिया की अनदेखी कर पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे और प्रकरण विचारण न्यायालय को वादी के वारिसान को बतौर पक्षकार रेकर्ड पर लिये जाकर विधि अनुसार मामले का निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन कि वादग्रस्त आराजियात सहखातेदारी की संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है, जिसका सहखातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन हुए बिना किसी भी सहखातेदार/सहखातेदारान के पक्ष में अन्य सहखातेदार/सहखातेदारान के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामलें में विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की गयी। तनकियात कायम किये जाने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी पक्ष की ओर से पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 19 जून 1998 तथा जमाबंदी संवत 2068-2071 एवं खसरा गिरदावरी पेश की गयी और मौखिक साक्ष्य में भागीरथ तथा बदरी (वादीगण स्वयं) के शपथपत्र पेश किये और बयान भी लिपिबद्ध करवायें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण से कोई जिरह नहीं की गयी और न ही प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। अतः अपीलाण्ट्स द्वारा यह अभिकथन किया जाना सही नहीं है कि विचारण न्यायालय में उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड प्रदर्श-एक व प्रदर्श-दो के अनुसार वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की भूमि होना प्रकट होता है जिसका विधिवत विभाजन होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 40 से 44 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा मय शपथपत्र में पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवारा हो जाना जाहिर किया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कथित मौखिक बंटवारे के परिणामस्वरूप किस पक्षकार के हिस्से में वादग्रस्त आराजियात का कौनसा भू-भाग विशेष प्राप्त हुआ जिस पर वह काबिज हो, न ही ऐसे किसी बंटवारे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बट्टा नम्बर अंकित है। इन परिस्थतियों में स्पष्ट है कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजियात पक्षकारान की शामलाती व अविभाजित भूमि है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि पर प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन कब्जा होने से विधिवत विभाजन कराये बिना किसी एक सहखातेदार/सहखातेदारान के खिलाफ अन्य सहखातेदार/सहखातेदारान के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानून की मूल भावना के खिलाफ होने से विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज करने में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में दावा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मार्च 2022 यथावत रखे जाते है। वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदारान विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.07.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर